

प्रेस नोट 20.04.19

1.दिनांक 19.04.19 को वादी श्री राम बली यादव पुत्र गंगा प्रसाद निवासी धरमू का पुरवा दर्शन नगर थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र मुकेश यादव को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 243/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 19.04.19 को वादी श्री कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी कनकपुर थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रवि सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी मया थाना महाराजगंज, अयोध्या व 02-03 अन्य व्यक्ति पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 152/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 19.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राम अवतार राम थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्यामलाल पुत्र हेतू पासी निवासी मेहदौना, मठिया थाना इनायतनगर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 187/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 19.04.19 को वादी श्री ब्रज किशोर सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह निवासी सरियांवा थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र राम अचल निवासी अग्नि का पुरवा थाना पूराकलन्दर, अयोध्या आदि 03 नफर तालाब में मछली मारने को लेकर अभियुक्तगण द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए वादी पर हमलावर होना तथा जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 188/19 धारा 352, 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 19.04.19 को वादी श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र संतलाल निवासी किशुनदासपुर थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार उर्फ मोनू पुत्र राम अभिलाख निवासी चौबे का पुरवा थाना को0अयोध्या, अयोध्या आदि 02 नफर अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 245/19 धारा 323, 504, 506, 452, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।